# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारीः– महेश गगोरिया , उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

प्रकरण संख्या–15 / 2025 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

बलवंत कुमार सुथार पुत्र श्री रामनारायण सुथार, उम्र 61 वर्ष, निवासी ए–78 सेक्टर 05 गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ हाल निवासी ग्राम खातीखेड़ा , तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

......प्रार्थी

विरूद्व

1. कालु पुत्र बंशीलाल मीणा संरक्षक सरपरस्त माता श्रीमती बदाम बाई, उम्र नाबालिग, निवासी ग्राम रूपपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. गोर्वधन पुत्र राजू मीणा, उम्र बालिग, निवासी ग्राम रूपपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. बदाम बाई पत्नी श्री बंशीलाल मीणा, उम्र बालिग, निवासी ग्राम रूपपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. बाली बाई पत्नी श्री राजू मीणा, उम्र बालिग, निवासी ग्राम रूपपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. भवानी बाई पुत्री श्री राजू मीणा, उम्र बालिग, निवासी ग्राम रूपपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
6. ममता बाई पुत्री बंशीलाल संरक्षक सरपरस्त माता श्रीमती बदाम बाई, उम्र नाबालिग, निवासी ग्राम रूपपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
7. राकेश मीणा पुत्र बंशीलाल संरक्षक सरपरस्त माता श्रीमती बदाम बाई, उम्र नाबालिग, निवासी ग्राम रूपपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
8. मथूरा लाल धाकड़ पुत्र श्री नारायण , उम्र बालिग, निवासी भवानीपुरा, कुण्डाल, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
9. रामलाल धाकड़ पुत्र श्री नारायण , उम्र बालिग, निवासी भवानीपुरा, कुण्डाल, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
10. कान्तीबाई सूथार पुत्री श्री काना जी, उम्र बालिग, निवासी ग्राम रूपपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
11. सुरजी बाई पुत्री श्री काना जी, उम्र बालिग, निवासी ग्राम रूपपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
12. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

...........विपक्षीगण

## निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

प्रार्थी की ओर से उपस्थित :– **श्री बाबूराम देराश्री**

अप्रार्थी की ओर से :– **पेरोकार सरकार।**

दिनांकः– 21.05.2025

## –:आदेशः–

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया हैं कि ग्राम मौजा रूपपुरा प0ह0 एकलिंगपुरा तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 26 खसरा संख्या 51, 52 रकबा क्रमशः 01.1000है0, भूमि प्रार्थी के नाम सम्पूर्ण खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र द्वारा निवेदन किया कि खसरा संख्या 51, 52 के पड़ौसी खातेदार व प्रार्थी के बीच कृषि आराजीयात पर फसल बुवाई व फसल कटाई को लेकर व पास मेब के बाडे में फसल को रखने को लेकर व आये दिन मेड़ [illegible] की काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थी ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित किये जावे। प्रार्थी की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस [illegible] किया गया हैं। प्रार्थी को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थी उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.05.27 13:45:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली पर अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाव प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मौजा रूपपुरा प0ह0 एकलिंगपुरा तहसील रावतभाटा की जमावन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 26 खसरा संख्या 51, 52 रकबा क्रमशः 01. 1000है0, भूमि प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/–रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 21.05.2025 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.05.27 13:45:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner